भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-237

उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

†237. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस .:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कई विद्यालयों, खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की लगातार कमी रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है और विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई उपाय किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्न्पूर्णा देवी)

(क) से (घ): स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या/नए स्कूलों के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रिक्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भरी जाएं। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिक्ति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1078
2	महाराष्ट्र	57749
3	तमिलनाडु	2266

(स्रोत: प्रबंध)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और एड्वाइजरी के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती का अनुरोध करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ड.): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों सहित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें ग्रेड 3 के अंत तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश-दिशानिर्देशों की प्रस्तावना ; एनईपी 2020 के अनुसरण में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एसई) और मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) की शुरुआत; और 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार प्ले-आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा की शुरुआत शामिल है। शिक्षकों के निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए, शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों/प्रधानाचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) का आयोजन किया जा रहा है।

शिक्षा तक मल्टीमोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है। इस पहल में गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) शामिल है; कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल; रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का उपयोग; और दृष्टिबाधितों और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब आदि पर सांकेतिक भाषा में विशेष ई-सामग्री विकसित की गई है।

विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके), एक डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रशासकों को डेटा और प्रौद्योगिकी के लाभ से शिक्षा की प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, 12 राज्यों में शुरू किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों को सभी बच्चों को कौशल शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी पात्र बच्चों को एक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

*****